समाचार पत्र पंजीयन क्र.: MPBIL/2004/13955 डाक पंजीयन संख्याःम.प्र./भोपाल/4–461/2018–20 मूल्य : 10/– रू.

Reg.No.:756-13.02.1960

उद्यम प्रेरणा

(एमएसएमई की सशक्त आवाज)

NABET Gold Category

पाक्षिक–वर्षः 15 अंकः 13 भोपाल दि.–10.07.2018

(परिपत्र क्र.: 36–37)

"अन्तर्राष्ट्रीय MSME दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ"

अन्तर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 27.06.18 को प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),म.प्र. शासन, एमएसएमई मंत्रालय के साथ चर्चारत एमपीएसएसआईओ के राज्य स्तरीय संयुक्त सचिव श्री सुधीर कुमार मिश्रा एवं सचिव वीरेन्द्र पोरवाल

हमें आपको यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे देश में 27 जून एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के उपलक्ष्य में म.प्र. शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय विभाग द्वारा दिनांक 27 जून 2018 को प्रशासन अकादमी भोपाल में एमएसएमई दिवस को मनाने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, म.प्र. शासन उपस्थित थे। कार्यक्रम दो सत्रों में सम्पन्न हुआ पहला उद्घाटन सत्र दूसरा तकनीकी सत्र। तकनीकी सत्र में निम्नलिखित विषयों पर विषय विशेषज्ञों ने अपनी प्रस्तुती दी।

- Start-up, Innovation and MSMEs: A Global Perspective
- Leveraging IT & Law for enhancing efficiency of MSMEs
- Opportunities for MSMEs in Food Processing Sector

Ref.: MPSSIO/23/2018-19/

सम्पादन सहयोगीः **कैलाश अग्रवाल, अजय नाहर एवं सुनील गोठी**

M.P. Small Scale Industries Organization

E-2/30, Arera Colony, Bhopal - 462016 (MP)

परिपत्र क्रमांक : 36

क्रं.: एम.पी.एस.एस.आई.ओ. / 74 / 2018–19 / 311–320 दिनांकः 07.07.2018

प्रति,

श्री अरूण जेटली
माननीय वित्त मंत्री,
भारत सरकार, ए–44, कैलाश कालोनी,
नई दिल्ली।

विषयः ''एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार, एवं एक विभाग'' की अवधारणा को मूर्तरूप देने हेतु पहल।

आदरणीय महोदय,

सर्वप्रथम वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्रियान्वयन की पहली वर्षगॉठ पर राजस्व वृद्धि की उपलब्धि हेतु आपको हार्दिक बधाई। साथ ही एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की आपकी मंशा के आगे ''एक विभाग'' पूरी व्यवस्था को ''Ease of Doing Business'' के मूलभूत अवधारणा को सार्थकता प्रदान करेगा। इस हेतु हमारा सुझाव है कि व्यापारी अपने कर की अदायगी राज्य जी.एस.टी. या केन्द्र जी.एस.टी. को शासन द्वारा निर्धारित दर एवं प्रक्रियाओं के तहत तो अवश्य करें, लेकिन व्यापारी को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि व्यापारी जब जी.एस.टी. में पंजीयन कराता है तभी वह अपनी इच्छानुसार जी.एस.टी.–'S' (State) या जी.एस.टी.–'C' (Central) के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करलें। इससे व्यापारी को यह सुविधा होगी कि उसे सिर्फ राज्य या केन्द्र जिसका भी चयन व्यापारी द्वारा किया गया है, वही विभाग व्यापारी पर नियंत्रण करेगा। आज की स्थिती में राज्य तथा केन्द्र दोनों सरकारें व्यापारी पर नियंत्रण करते हैं, जो व्यापारी की परेशानी का कारण है।

हमें पूर्ण विश्वास है कि जीएसटी की दूसरी वर्षगॉठ तक हम ''एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार, एवं एक विभाग'' की अवधारणा को मूर्तरूप दे पावेंगे। WE WANT ONE 'GOD FATHER'.

सधन्यवाद।

भवदीय
हस्ता/–
(विपिन कुमार जैन)
महासचिव

प्रतिलिपिः

1. सभी जीएसटी काउसिंल सदस्यों की ओर। (contact.gstcouncil@gov.in)
2. श्री गिरीराज सिंह, माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली–110011
3. श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), म.प्र. शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग,सी–26, शिवाजी नगर, भोपाल।
4. श्री हसमुख अदिया, सचिव, वित्त, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. सचिव, जीएसटी काउसिंल, पांचवी मंजिल, टावर–2, जीवन भारती भवन, जनपथ रोड, कन्नाट प्लेस, नई दिल्ली।
6. श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
7. श्री मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव, वाणिज्यिकर विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
8. सभी देश/प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संगठनों की ओर।
9. श्री कैलाश अग्रवाल, अध्यक्ष, एमपीएसएसआईओ, खरगोन।

हस्ता/–
(विपिन कुमार जैन)
महासचिव

परिपत्र क्रमांक : 37

राज्य सरकार ने उद्योगों को पर्यावरणीय सम्मति लेने के लिये तथा उसके नवीनीकरण के लिये लगने वाली शुल्क में दिनांक 01 जुलाई 2018 से बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत उद्योगों की लाल, नारंगी, हरी केटगरी को समाप्त कर दिया गया है और अब सभी प्रकार के उद्योगों से एक समान शुल्क उनके निवेश के आधार पर ली जावेंगी। इस संबंध में पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 346 दिनांक 26.06.2018 जिसका प्रकाशन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26 जून 2018 में हुआ है, को हम आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु नीचे उधृत कर भिजवा रहे है।

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जून, 2018

क्रमांक एफ 5–5/2009/32–जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974 का 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात्, एतद् द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) मध्य प्रदेश नियम 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती हे, अर्थात :–

संशोधन

उक्त नियमों में

1. नियम–4 में खण्ड (पांच) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाये, अर्थातः–

(पांच) **उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों** इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रारूप के साथ निम्नलिखित **सारणी–एक** में यथा **विर्निदिष्ट** सम्मति फीस सम्यक रूप से संलग्न की जायेगी, जबकि खदानों के लिये आवेदन प्रारूप के साथ **सारणी–दो** में यथा विर्निदिष्ट सम्मति फीस सम्यक रूप से संलग्न की जावेगी। भारत के राजपत्र असाधारण भाग–दो, खण्ड–3, उपखण्ड (दो) में प्रकाशित पर्यावरण प्रभाव एवं आंकलन अधिसूचना एस.ओ.1533 (ई) दिनांक 14 सितम्बर 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजनाओं अथवा क्रियाकलापों हेतु लोक सुनवाई संचालित करने हेतु, राज्य बोर्ड द्वारा निम्नलिखित सारणी–तीन के अनुसार प्रशासकीय फीस प्रभार्य होगीः–

सारणी एक

क्र.	कुल विनिधान	शुल्क (रूपये)
1	रूपये 50 करोड़ या उससे आधिक	कुल लागत का 0.02 प्रतिशत
2	रूपये 10 करोड़ या उससे अधिक पर रूपये 50 करोड़ से कम	90,000
3	रूपये 3 करोड या उससे अधिक पर रूपये 10 करोड़ से कम	60,000
4.	रूपये 50 लाख या उससे अधिक पर रूपये 3 करोड़ से कम	15,000
5.	रूपये 50 लाख से कम	1,500

जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक–पृथक शुल्क देय होगा।

स्पष्टीकरण–

(1) स्थापना सम्मति जारी करने के माह से आगामी 5 वर्ष तक वैद्य रहेगी। पांच वर्ष पश्चात् उद्योगों/संस्थाओं/इकाईयों इत्यादि को, निर्माण/स्थापना कार्य पूर्ण न करने की दशा में पुनः नई स्थापना सम्मति प्राप्त करना होगी व शुल्क भी देय होगा।

(2) शुल्क की गणना 100 रूपये के आगामी पूर्णांक में की जायेगी। अर्थात गणना अनुसार किसी संस्थान का शुल्क 101 रूपये आता है तो शुल्क रूपये 200/– देय होगा।

(3) उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों से लिये जाने वाले शुल्क की गणना हेतु कुल विनिधान का आशय उद्योग/संस्थान/इकाई द्वारा 'बिना मूल्य ह्रास' स्थाई सम्पत्तियों के सकल ब्लॉक (ग्रॉस ब्लॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विदआउठ डेप्रीसिऐशन) में किया गया विनिवेश होगा।

सभी संस्थाओं/नगरीय निकायों में स्थापित स्टेण्ड अलोन वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की सम्मति हेतु शुल्क वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट एवं डिस्पोजल व्यवस्था (टरशरी ट्रीटमेंट) की कुल लागत के 0.02 प्रतिशत के आधार पर देय होगा, जो न्यनूतम रूपये 25000/– से कम नहीं होगा।

(4) शुल्क वापसीः सम्मति प्रदान कर दिये जाने पर शुल्क वापस नहीं होगा। सम्मति प्रदान नहीं करने पर यदि कोई आवेदक वापस करने की वांछा करता है तो 50 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में काटकर शेष राशि वापसी योग्य होगी। ऐसा तभी मान्य होगा जब कि उद्योग/संस्थान/इकाई द्वारा स्थल पर स्थापना कोइ कार्यवाही ना की गई हो।

सारणी दो

खदानों से स्थापना सम्मति हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार रूपये 10,000/– प्रति हेक्टेयर राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक–पुथक देय होगा।

स्पष्टीकरण :–

(1) स्थापना सम्मति, जारी करने के माह से आगामी 5 वर्ष तक वैद्य रहेगी, पांच वर्ष पश्चात् संस्थान को कार्य प्रारम्भ न करने की दशा में पुनः सशुल्क स्थापना सम्मति प्राप्त करना होगी।

(2) क्षेत्रफल आधारित शुल्क की गणना में हेक्टेयर के अंशभाग को आगामी पूर्णांक में परिवर्तित कर शुल्क देय होगा। उदाहरणार्थ 1.051 हेक्टेयर की खदान को 2 हेक्टैयर का शुल्क देय होगा।

(3) शुल्क वापसीः सम्मति प्रदान कर दिये जाने पर शुल्क वापस नहीं होगा। सम्मति प्रदान नहीं करने पर यदि कोई आवेदक वापस करने की वांछा करता है तो 50 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में काटकर शेष राशि वापस योग्य होगी। ऐसा तभी मान्य होगा जब कि खदान द्वारा उक्त स्थान पर स्थापना संबंधी कोई कार्यवाही ना की गई हो।

सारणी तीन (जन सुनवाई हेतु प्रशासकीय शुल्क)

क्र.	प्रस्तावित विनिधान	शुल्क (रूपये)
1	रूपये 50 करोड़ से कम	1,00,000
2	रूपये 50 करोड़ या उससे अधिक	5,00,000

2. नियम–5 में उप नियम (पांच) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाये, अर्थातः–

''(पांच) (क) उद्योगों/संस्थानों/ईकाईयों द्वारा सरणी–चार के अनुसार एवं खदानों को सारणी पांच के अनुसार उत्पादन सम्मति/वार्षिक सम्मति नवीनीकरण शुल्क देय होगा, अर्थात :–

सारणी चार

क्र.	कुल विनिधान	शुल्क (रूपये)
1	रूपये 50 करोड़ या उससे आधिक	कुल लागत का 0.01 प्रतिशत
2	रूपये 10 करोड़ या उससे अधिक पर रूपये 50 करोड़ से कम	30,000
3	रूपये 3 करेाड या उससे अधिक पर रूपये 10 करोड़ से कम	22,500
4.	रूपये 50 लाख या उससे अधिक पर रूपये 3 करोड़ से कम	5,250
5.	रूपये 50 लाख से कम	750

जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक–पृथक शुल्क देय होगा।

स्पष्टीकरण –

(1) सम्मति/नवीनीकरण हेतु नियमानुसार सम्मति/नवीनीकरण की वैद्यता समाप्त होने के दिनांक से 6 माह पूर्व सशुल्क आवेदन करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदन सम्मति/नवीनीकरण की निर्धारित वैद्यता समयावधि व्यतीत होने के पाश्चात् प्राप्त होता है, तो **विलम्ब शुल्क** देय होगा, जो सम्मति/नवीनीकरण राशि का 2 प्रतिशत प्रतिमाह होगा।

(2) शुल्क की गणना 100 रूपये के आगामी पूर्णांक में की जायेगी। अर्थात गणना अनुसार किसी संस्थान का शुल्क 101 रूपये आता है तो शुल्क रूपये 200/– देय होगा।

(3) उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों से लिये जाने वाले शुल्क की गणना हेतु कुल विनिधान का आशय उद्योग/संस्थान/इकाई द्वारा 'बिना मूल्य ह्रास' स्थाई सम्पत्तियों के सकल ब्लॉक (ग्रॉस ब्लॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विदआउट डेप्रीसिऐशन) में किया गया विनिवेश होगा।

सभी संस्थाओं/नगरीय निकायों में स्थापित स्टेण्ड अलोन वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की सम्मति हेतु शुल्क वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट एवं डिस्पोजल व्यवस्था (टरशरी ट्रीटमेंट) की कुल लागत के 0.01 प्रतिशत के आधार पर देय होगा, जो न्यूनतम रूपये 15000/– से कम नहीं होगी।

(4) कुल विनिधान के संबंध में गत वित्तीय वर्ष की बैलेन्स शीट, सीए सर्टीफिकेट अथवा संस्थान के संचालक द्वारा स्वयं सर्टीफाईड प्रमाण–पत्र मान्य होगा। उक्त प्रमाण–पत्र चालू वित्तीय वर्ष हेतु गत वित्तीय वर्ष का ही मान्य होगा। प्रत्येक तीन वर्ष प्रश्चात् अंकेक्षित बैंलेंस शीट की प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

सारणी पांच

खदानों से उत्पादन सम्मति/वार्षिक सम्मति नवीनीकरण हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार रूपये 5,000/– प्रति हेक्टेयर राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक–पृथक शुल्क देय होगा।

स्पष्टीकरण –

(1) क्षेत्रफल आधारित शुल्क की गणना में हेक्टेयर के अंशभाग को आगामी पूर्णांक में परिवर्तित कर शुल्क देय होगा। उदाहरणार्थ 1.051 हेक्टेयर की खदान से 2 हेक्टैयर का शुल्क देय होगा।

(2) सम्मति/नवीनीकरण हेतु नियमानुसार सम्मति/नवीनीकरण की वैद्यता समाप्त होने के दिनांक से 6 माह पूर्व सशुल्क आवेदन करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदन सम्मति/नवीनीकरण की निर्धारित वैद्यता समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् प्राप्त होता है, तो **विलम्ब शुल्क** देय होगा, जो सम्मति नवीनीकरण राशि का 2 प्रतिशत प्रतिमाह होगा।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों को जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016, नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016, बैट्री (प्रबंधन और सीमापार संचालन) नियम 2016, अपशिष्ठ प्लास्टिक नियम 2016, ई–अपशिष्ठ (प्रबंधन) नियम 2016 के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले पंजीयन/अनुमति/प्राधिकार हेतु निम्नानुसार प्रशासकीय शुल्क निर्धारित किया जाता है :–

क्रं.	नियम	पंजीयन / अनुमति / प्राधिकार	प्रशासकीय शुल्क (रूपये)	
1	जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016	प्राधिकार	क्लीनिक, पैथोलॉजी लेब, ब्लड बैंक एवं अन्य नॉन बेडेड चिकित्सकीय संस्थान	रूपये 5,000 / – एक बार आजीवन
			चिकित्सालय चार शैया तक	रूपये 2,000 / – प्रति वर्ष
			चार शैया से अधिक शैया होने पर	रूपये 200 / – प्रति शैया प्रति वर्ष अतिरिक्त
			जीव चिकित्सा अपशिष्ठ अपवहन संस्थान	रूपये 25,000 / – प्रतिवर्ष
			जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन में संलग्न परिवहनकर्ता संस्थान	रूपये 10,000 / – प्रति वर्ष
2	नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016	प्राधिकार	नगरीय ठोस अपशिष्ठ अपवहन संस्थान का ऑपरेटरः–	प्रसंस्करण में संलग्न
			प्रतिदिन 100 टन तक अपशिष्ठ निपटान व्यवस्था	रूपये 20,000 / – प्रतिवर्ष
			प्रतिदिन 100 से अधिक किन्तु 500 टन तक अपशिष्ठ निपटान	रूपये 50,000 / – प्रति वर्ष
			प्रतिदिन 500 टन से अधिक अपशिष्ठ निपटान	रूपये 1,00,000 / – प्रतिवर्ष
3	बैट्री (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001	पंजीयन / प्राधिकार	नियम की परिधि में आने वाले उद्योग / संस्थानों / इकाईयों	रूपये 2,000 / – प्रतिवर्ष
4	परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं सीमापर संचलन) नियम, 2016	पंजीयन / अनुमति / प्राधिकार	**1. उत्पादक एवं संग्रहक हेतु**	
			रूपये दस करोड़ से अधिक कुल विनिधान वाले उद्योगों / संस्थानो / ईकाईयों एवं 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की खदानों हेतु प्राधिकार	रूपये 50,000 / – (5 वर्ष हेतु)
			उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 30,000 / –(5 वर्ष हेतु)
			रूपये दस करोड़ तक कुल विनिधान वाले उद्योगों / संस्थानों / इकाईयों एवं 5 हेक्टेयर तक क्षेत्र वाली खदानों हेतु प्राधिकार	रूपये 30,000 / – (5 वर्ष हेतु)
			उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 20,000 / – (5 वर्ष हेतु)
			2. खतरनाक अपशिष्ठों का केवल परिवहन करने वाले परिवहनकर्ता संस्थानों हेतु प्राधिकार	रूपये 5,00,000 / – (5 वर्ष हेतु)
			उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 2,50,000 / –(5 वर्ष हेतु)
			3 खतरनाक अपशिष्ठों का उपचार एवं अपवहन करने वाले संस्थानों हेतु प्राधिकार	रूपये 10,00,000 / – (5 वर्ष हेतु)
			उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 5,00,00 / –(5 वर्ष हेतु)
			4 मोबाईल टॉवर के साथ पृथक से संचालित डी.जी.सेट के प्राधिकार	रूपये 5,000 / –(5 वर्ष हेतु)
			उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण	रूपये 3,000 / –(5 वर्ष हेतु)
5	अपशिष्ठ प्लास्टिक नियम, 2016	पंजीयन / प्राधिकार	रूपये 50 लाख कुल विनिधान करने वाले उद्योगों / संस्थानों / इकाईयों हेतु पंजीयन / प्राधिकार	रूपये 5,000 / –
			रूपये 50 लाख अथवा अधिक कुल विनिधान करने वाले उद्योगों / संस्थानों / इकाईयों हेतु पंजीयन / प्राधिकार	रूपये 50,000 / – अथवा उद्योग / संस्थान के कुल विनिधान राशि का 0.01 प्रतिशत जो भी अधिक हो
6	ई–अपशिष्ठ(प्रबंधन), नियम, 2016	पंजीयन / प्राधिकार	नियम की परिधि में आने वाले उद्योग / संस्थान / ईकाई	रूपये 5,000 / – प्रति वर्ष

उक्त अधिसूचना 01 जुलाई, 2018 से प्रभावशील होगी।

Ref.: MPSSIO/80/2018-19/